



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 आषाढ़ 1948 (श10)

(सं० पटना 709) पटना, बुधवार, 1 जुलाई 2026

सं०सं० 5(स0)/बियाडा (भू० अधि० पूर्णिया)-53/2025—3170
उद्योग विभाग

संकल्प

24 जून 2026

विषय:— पूर्णिया जिला अन्तर्गत अंचल-कृत्यानन्द नगर के मौजा-अकबराबाद, थाना नं०-35, रकबा-46 एकड़ एवं मौजा-गणेशपुर, थाना नं०-36, रकबा-91 एकड़ तथा अंचल-बड़हारा कोठी के मौजा-गौरीपुर, थाना नं०-147/2, रकबा-130 एकड़ एवं मौजा-बेलापेम्, थाना नं०-324, रकबा-420 एकड़ अर्थात् समेकित कुल रकबा-687 एकड़ रैयती भूमि का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के माध्यम से अधिग्रहण एवं अधिग्रहण की प्राक्कलित राशि रु० 1,25,32,38,925.00 (रुपये एक अरब पच्चीस करोड़ बत्तीस लाख अड़तीस हजार नौ सौ पच्चीस रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

बिहार राज्य में नये उद्योगों की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार किया जाय। बिहार के 31 जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु सैद्धान्तिक सहमति पर मंत्रिपरिषद की दिनांक-12.07.2024 के बैठक में मद संख्या-42 के रूप में स्वीकृति भी प्राप्त है। इस प्रयोजन हेतु उपयुक्त भूमि अधिग्रहित की जायेगी, जहाँ सुलभ संपर्क उपलब्ध हो।

2. उपरोक्त स्वीकृति के आलोक में समाहर्ता, पूर्णिया के पत्रांक-1079/जि०भू०अ० दिनांक-30.08.2025 एवं पत्रांक-1080/जि०भू०अ० दिनांक-30.08.2025 तथा आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के पत्रांक-3542/LD दिनांक-22.09.2025 एवं पत्रांक-3540/LD दिनांक-22.09.2025 से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार पूर्णिया जिले के अंचल-कृत्यानन्द नगर के मौजा-अकबराबाद, थाना नं०-35, रकबा-46 एकड़ एवं मौजा-गणेशपुर, थाना नं०-36, रकबा-91 एकड़ तथा अंचल-बड़हारा कोठी के मौजा-गौरीपुर, थाना नं०-147/2, रकबा-130 एकड़ एवं मौजा-बेलापेम्, थाना नं०-324, रकबा-420 एकड़ अर्थात् समेकित कुल रकबा-687 एकड़ रैयती भूमि का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के माध्यम से अधिग्रहण एवं अधिग्रहण की प्राक्कलित राशि रु० 1,25,32,38,925.00 (रुपये एक अरब पच्चीस करोड़ बत्तीस लाख अड़तीस हजार नौ सौ पच्चीस रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त भूमि के अधिग्रहण से औद्योगिक क्षेत्र के विकास होगा जिससे विभिन्न प्रक्षेत्रों में निवेश तथा रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। लोगों का पलायन भी रुकेंगा तथा नये शहरी क्षेत्रों का भी विस्तार होगा।

4. बजट शीर्ष एवं बजट का उपबंध :-

(राशि रुपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	अबतक अनुशंसित राशि	शेष राशि	व्यय की स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि
मुख्यशीर्ष-4885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष-02-पिछड़े क्षेत्रों का विकास, लघुशीर्ष-050-भूमि, उप शीर्ष-0101-औद्योगिक विकास के लिए भूमि अर्जन, विपत्र कोड संख्या-23-4885020500101 विषय शीर्ष-0101-53-02 भू-अर्जन मद	12,28,04,00,000	0.00	12,28,04,00,000	1,05,12,16,810
मुख्यशीर्ष-4885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष-02-पिछड़े क्षेत्रों का विकास, लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0101-औद्योगिक विकास के लिए भूमि अर्जन, विपत्र कोड संख्या-23-4885027890101 विषय शीर्ष-0101-53-02 भू-अर्जन मद	2,18,23,00,000	0.00	2,18,23,00,000	18,68,57,924
मुख्यशीर्ष- 4885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष-02-पिछड़े क्षेत्रों का विकास, लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उप शीर्ष-0101-औद्योगिक विकास के लिए भूमि अर्जन, विपत्र कोड संख्या-23-4885027960101 विषय शीर्ष-0101-53-02 भू-अर्जन मद	17,73,00,00,000	0.00	17,73,00,00,000	1,51,64,191
कुल	14,64,00,00,000	0.00	14,64,00,00,000	1,25,32,38,925.00

5. उपर्युक्त कंडिका 2 पर लोक वित्त समिति की अनुशंसा के उपरांत मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।
6. उक्त पर दिनांक-17.06.2026 की मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही के मद संख्या-23 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।
आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि बिहार सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रेरणा सिंह,
सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 709-571+10-डी0टी0पी0
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>